के लिए मकान। परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं होता। एक अर्न्तमन भी है। अन्तर शक्ति, जो दिखाई नहीं देती, जो विश्वरूप है। उसको पं. दीनदयाल जी ने 'चिति' शब्द दिया। वह 'राष्ट्र' है।

इसलिए, राष्ट्र, राज्य और देश इन तीन कल्पनाओं को भिन्न भिन्न रूप से सोचने की आवश्यकता रहती है। ये तीनों एक नहीं हो सकते। हाँ तीनों को मिलाकर एक बनेगा। हम आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। लेकिन उसकी अनुभूति शरीर के बिना नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि आत्माएं भटक रही हैं। लेकिन हम तो उनका अनुभव नहीं कर पा रहे। पर आत्माएं तो हैं। यह भी कहा जाता है कि आत्मा अमर है। पर दिखाई तो तभी देती है न जब वह शरीर का रूप धारण कर लेती है। इसलिए आत्मा के प्रकटीकरण के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। इसी तरह राष्ट्र रूपी आत्मा के प्रकटीकरण के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। वह प्रकटीकरण देश के रूप में होता है। और अगर राष्ट्र का प्रकटीकरण देश के रूप में हैं तो उसकी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। वे राज्य के माध्यम से संचालित होती हैं।

इसलिए, इन तीनों शब्दों यानी संकल्पनाओं का अलग-अलग ही विचार किया जा सकता है। देश प्राकृतिक है। हमने भारत की भूमि निर्माण नहीं की। यह प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। राज्य की कल्पना विकसित होती गई है। आवश्यकताएं बदलती गई, और उनके अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित होती गयीं। यह कभी भी समाप्त होने वाली बात नहीं है। आज हम राज्य के अन्तर्गत जिस प्रकार व्यवस्थाओं की अपेक्षा करते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आज से बीस साल बाद भी वही रहेंगी। आवश्यकतानुसार वे बदलेंगी। यह चक्र यूंही चलता रहेगा।

राष्ट्र एक अदृश्य शक्ति है। जबकि देश सिर्फ शरीर है, भूमि का एक टुकड़ा। किसी देश का एक बड़ा भूभाग रेगिस्तान हो सकता है, किसी का जंगल। लेकिन बिना आत्मा के वह राष्ट्र नहीं कहला सकता। राष्ट्र के स्वभाव के कारण ही देश की पहचान बनती है।

अपने यहां राष्ट्र, राज्य और देश के संदर्भ में संभ्रम की अवस्था का निर्माण किया गया। अंग्रेजों ने कहा कि हम एक राष्ट्र बनाने के लिए यहां